FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

[अद]ालत उप खंड अधिकारी मुकाम पीपलू

[...]प्रसाद पिसरान छोगा अहीर नि० बनाम जगदीश पुत्र लाला अहीर निवासी मुंडिया तह० पीपलू कुल 4 कस

[मुं]डिया तह० पीपलू

[म]ुकदमा प्रार्थना अन्तर्गत धारा 212 नं. 99 सन् 2004 राज० टि० एक्ट

[तारीख]	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[...]005	:: निर्णय :: प्रार्थना पत्र संक्षिप्त में इस प्रकार है कि ख० नं० 37/2-00, 38/9-01, 39/2-11 वाके ग्राम मुंडिया तह० पीपलू का प्रार्थी खातेदार काबिज काश्तकार है। प्रतिपक्षीगण का उक्त आराजी से कोई संबंध नहीं है। उसके बावजूद भी प्रार्थी के कब्जे काश्त में मजाहमत करते हैं। अतः उन्हें ता फैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिपक्षीगण की गई। प्रतिपक्षीगण जरिये अभिभाषक जवाब पेश किया कि प्रतिपक्षीगण के पिता लाला पुत्र भैरू अहीर की खातेदारी के खेत ख०नं० 18, 19, 20, 40 वाके ग्राम मुंडिया में पहुँचने का रास्ता मुंडिया की तरफ से होकर ख०नं० 42 जो नाडा है के पाल के सहारे दक्षिण की ओर से मुंडिया की तरफ से होकर ख०नं० 37, 38 व 42 के मध्य मेरपर से होकर ख०नं० 18, 19, 20 व 40 में पहुँचता है यह रास्ता ख०नं० 37, 38, 42 के मध्य मेर पर से होकर पूर्व पश्चिम की ओर पहुँचता है जो प्रतिपक्षीगण के पिता की खातेदारी के खेत हैं। यह रास्ता ख० नं० 40 के पश्चिम [...] पर खत्म हो जाती है। प्रतिपक्षीगण	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	किया कि विवादित भूमि के प्रार्थी खातेदार काबिज काश्तकार है। प्रतिपक्षीगण का इससे कोई लेना देना नह है। शीट में कोई रास्ता नहीं है। रास्ते बाबत सक्षम न्या में जाना चाहिए। कब्जे बाबत शपथपत्र पेश किये है अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जावे। जवाबी बहस में वकील अप्रार्थी ने कथ कि मौके पर कदीमी रास्ता है। रास्ता 60 वर्ष पुरा 20 वर्ष तक प्रयोग में लेने से सुखाचार का अधि प्राप्त हो जाता है। अतः प्रार्थना पत्र खारीज योग हमने बहस पर मनन किया। व सुसंगत विधि का अध्ययन किया। नकल सम्वत 2058-61 में खाता संख्या 140 के 2 38, 39 का प्रार्थी खातेदार है। जवाब में प्रा ने स्वीकार किया है कि मौके पर कदीमी रा भूमि को छोड़कर शेष भूमि पर अप्रार्थीगण एतराज नहीं है। सुखाचार का प्रकरण अभ नहीं हुआ है जो न्यायालय तहसीलदा में लम्बित है किन्तु रास्ते की भूमि [illegible] शेष भूमि पर प्रार्थी अस्थाई निषेधा का अधिकारी है। रास्ते की भूमि प कब्जा भी नहीं है। अतः उक्त रास्ते छोड़कर अप्रार्थीगण को पाबन्द किया वो ता फैसला वाद प्रार्थी की आ मदाखलत नहीं करें। आज निर्णय सुनाया गया [illegible] (की